न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–18 / 2021

1. श्री खन्ना सिंह पिता उदय सिंह जाति राजपूत निवासी हडमतिया कुण्डाल तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती ईश्वर कुवर पिता उदय सिंह जाति राजपूत निवासी हडमतिया कुण्डाल तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
2. श्रीमती गज्जु कुवर पिता उदय सिंह जाति राजपूत निवासी हडमतिया कुण्डाल तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
3. श्री जिसु सिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत निवासी हडमतिया कुण्डाल तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
4. श्री नारायण सिंह पिता उदय सिंह जाति राजपूत निवासी हडमतिया कुण्डाल तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज
5. श्रीमती पप्पु कुंवर पिता उदय सिंह जाति राजपूत निवासी हडमतिया कुण्डाल तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
6. श्री बहादुर सिंह पिता उदय सिंह जाति राजपूत निवासी हडमतिया कुण्डाल तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
7. श्रीमती भंवर कुंवर पिता उदय सिंह जाति राजपूत निवासी हडमतिया कुण्डाल तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
8. श्रीमती मोहन कुवर पिता उदय सिंह जाति राजपूत निवासी हडमतिया कुण्डाल तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगंढ़ राज0
9. श्री रणवीर सिंह पिता उदय सिंह जाति राजपूत निवासी हडमतिया कुण्डाल तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
10. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

— अप्रार्थी

प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री रामप्रसाद जणवा – अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 23/03/2022

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा हथमातिया कुण्डाल पटवार हल्का बसेड़ा के खाता संख्या 119 आराजी संख्या 346, 348, 350, 364, 365/1127, 366, 367, 678 तथा खाता संख्या 381 की आराजी संख्या 678 तथा खाता संख्या 118 की आराजी संख्या 343 स्थित है उक्त आराजी पूर्व में उदय सिंह जी के खाते में दर्ज रेकार्ड थी उनके देहान्त के बाद विरासत से प्रार्थी व विपक्षी क्रमांक 1-9 के नाम दर्ज हुई लेकिन नामान्तरकरण के दौरान विपक्षी संख्या 10 ने प्रार्थी का नाम गोपाल सिंह पुत्र उदय सिंह दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम खन्ना सिंह दर्ज है। प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम खन्ना सिंह पिता उदय सिंह दर्ज है अतः राजस्व रेकार्ड में भी प्रार्थी का नाम सुधारा जावें।
2. पत्रावली का अवलोकन कर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार छोटीसादड़ी को जरिये सम्मन सुचित किया गया। प्रकरण में विपक्षी क्रमांक 1-9 प्रोफार्मा पक्षकार होने से उनकी तलबी नहीं कि गई तथा तदुपरान्त तहसीलदार से रिपोर्ट तलब कि गई जिसमें अंकित किया गया है कि गोपाल सिंह पिता उदय सिंह तथा खन्ना सिंह पिता उदयसिंह एक ही व्यक्ति है तथा प्रार्थी के दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम खन्ना सिंह दर्ज रेकार्ड है। तथा प्रोफार्मा पक्षकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्प सेमरथली में उपस्थित होकर प्रार्थी का नाम सही दर्ज करने की सहमति जाहिर की गई।
3. पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया संलग्न दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि प्रार्थी का नाम खन्ना सिंह दर्ज रेकार्ड है तहसीलदार रिपोर्ट में भी खन्ना सिंह तथा गोपाल सिंह एक ही व्यक्ति के बारे में बताया गया हैं उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि उक्त शुद्धि को दुरस्तीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर मौजा हडमतिया कुण्डाल पटवार हल्का बरोड़ा के खाता संख्या 119 आराजी संख्या 346, 348, 350, 354, 355/1127, 356, 357, 678 तथा खाता संख्या 381 की आराजी संख्या 678 तथा खाता संख्या 120 की आराजी संख्या 343 पर प्रार्थी का नाम गोपाल सिंह पिता उदयसिंह के बजाए गोपालसिंह उर्फ खन्नासिंह पिता उदय सिंह दर्ज किया जावें।

तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में नाम दुरस्तीकरण कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़